

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

03.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री बलराम प्रजापत उपस्थित।
विप्रार्थीगण नोटिस तारीख होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी संख्या
01 से 18 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रेकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि
के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड
खातेदार हैं और रिकार्ड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी
करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता
द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि
विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्व में हो रखी हो। ऐसी सूस्त में
नेखमबन्दी करने से पूर्व विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है।
अतः उक्त भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करने के बाद नेखमबन्दी किये जाने में
कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा
धोलकिया, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर
1557/1531, 1558/1531, 814 रकबा क्रमशः 3.4519, 3.4520, 6.8958 हैक्टेयर
विवादित भूमि के संबंध में पूर्व सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें।
सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात
कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु भू-अगिलेख निरीक्षक नीगबला को कमिश्नर नियुक्त
किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये
नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावें।
कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर
एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
भू-अगिलेख निरीक्षक नीगबला बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।
तहरीर जारी हो।

पत्रावली फौरन सुगार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव

